

**भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA**वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindiWebsite : www.rbi.org.inई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai-400001 फोन/Phone: 022- 22660502

8 सितंबर 2023

वृद्धिशील आरक्षित नकदी निधि अनुपात (आई-सीआरआर): समीक्षा

दिनांक 10 अगस्त 2023 के गवर्नर के मौद्रिक नीति वक्तव्य के अनुसरण में, अनुसूचित बैंकों को 19 मई 2023 और 28 जुलाई 2023 के बीच उनकी निवल मांग और मियादी देयताओं (एनडीटीएल) में वृद्धि पर 10 प्रतिशत वृद्धिशील आरक्षित नकदी निधि अनुपात (आई-सीआरआर) बनाए रखना आवश्यक था। इस उपाय का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में ₹2000 के नोटों की वापसी सहित विभिन्न कारकों से उत्पन्न अधिशेष चलनिधि को अवशोषित करना था। यह कहा गया था कि आई-सीआरआर चलनिधि की अधिकता के प्रबंधन के लिए एक अस्थायी उपाय है और त्रैमासिक सीज़न से पहले बैंकिंग प्रणाली से अवशोषित राशि को वापस करने की दृष्टि से आई-सीआरआर की समीक्षा 8 सितंबर 2023 या उससे पहले की जाएगी।

समीक्षा के बाद, चरणबद्ध तरीके से आई-सीआरआर को बंद करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों के आकलन के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि आई-सीआरआर के अंतर्गत अवशोषित राशि को चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा ताकि प्रणाली की चलनिधि को अचानक आघात का सामना न करना पड़े और मुद्रा बाजार सुव्यवस्थित तरीके से कार्य कर सके। राशियाँ निम्नानुसार जारी की जाएंगी:

तिथि	जारी की जाने वाली राशि (₹ करोड़)
9 सितंबर 2023	अनुरक्षित आई-सीआरआर का 25 प्रतिशत
23 सितंबर 2023	अनुरक्षित आई-सीआरआर का 25 प्रतिशत
7 अक्टूबर 2023	अनुरक्षित आई-सीआरआर का 50 प्रतिशत

आई-सीआरआर के समापन से संबंधित विवरण अलग से अधिसूचित किया जा रहा है।